न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सि0जज (जू0डि0) मोहम्मदी–खीरी।

मु0सं0–178/2021

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0एल0पी0–120007102021

सरकार बनाम विश्रामलाल आदि।

दिनांक 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली हाजिरी के स्तर पर लम्बित है।

पत्रावली के परि ीलन से स्पश्ट है कि अभियुक्त रामसिंह की मृत्यु आख्या सम्बन्धित थाने से प्राप्त हुई, जिसके अनुसार अभियुक्त रामसिंह की मृत्यु एक वर्ष पूर्व हो चुकी है। जिसकी पुष्टि ग्राम प्रधान द्वारा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। ग्राम प्रधान द्वारा मृतक प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न है।

ऐसे में अभियुक्त रामसिंह के विरूद्व मुकदमा उप ामित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा ोष अभियुक्तगण की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र केवल आज के लिए स्वीकृत।

आदे ा

अभियुक्त रामसिंह के विरूद्व मुकदमे की कार्यवाही उप ामित की जाती है। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक–09.10.2024 को पेश हो।

(अक्षिता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी–खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी03582